झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–54/11 पार्ट–2/05/बजट /रांची, दिनांक– 07.06.2022

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/राँची/दुमका/खुटरी/कोडरमा/खरसावाँ/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/सिमडेगा/जगन्नाथपुर/साहेबगंज
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/जमशेदपुर/बोकारो/दुमका
झारखंड।

विषय :– वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण/स्थापना आदि/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं राज्यान्तर्गत स्थापित होने वाले नये पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए प्रस्तावित मदों में व्यय हेतु कुल रू0 12,44,42,262/– (रू0 बारह करोड़ चौवालीस लाख बैयालीस हजार दो सौ बासठ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–03/योजना दिनांक 10.05.2022 एवं वित विभाग के पत्रांक–245 दिनांक–30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में संबंधित शीर्षो में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 12,44,42,262/– (रू0 बारह करोड़ चौवालीस लाख बैयालीस हजार दो सौ बासठ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिशिष्ट–'क' के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय–उप शीर्ष–44–राजकीय पोलिटेकनिकों/खनन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 21,45,00,000/–. (रू0 ईक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0025 है।

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।

9. विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प सं0 422 दिनांक 18.02.2022 द्वारा देय मंहगाई भत्ता में हुई अभिवृद्धि के कारण बकाया राशि का भुगतान संविदा भत्ता ईकाई में आवंटित राशि में से ही किया जाय।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– 245/वि0 दिनांक–30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

11. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।

12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

14. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव